	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 31, शुक्रवार, *शाके* 1946-जून 21, 2024 *Jyaistha 31, Friday , Saka 1946- June 21, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 07, 2024

संख्या :060अ0भू//ज0स0/2017/947-951 -:चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य के लिए भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, चित्तौड़गढ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) निम्बाहेड़ा होगे।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, चित्तौड़गढ के अन्तर्गत रेण का नाका सिंचाई परियोजना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ के निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

क्र.स.	कार्य का नाम	जिले का नाम	तहसील	उपखण्ड अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी
01	रेण का नाका सिंचाई	चित्तौड़गढ	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा

	परियोजना			

फॉर्म न -2

देखे)नियम –5(

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना मे निम्नलिखित सम्मलित होंगे -:

क्र.स.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, चित्तौड़गढ
1.	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र ।	रेण का नाका लघु सिंचाई परियोजना, ग्राम पंचायत- सरसी, मैलाना, तहसील- निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ।
2.	स्माजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उदेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अर्न्तगत (1) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दें ।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजलिक सुनवाई
3.	यदि ग्राम सभा और / या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथम किया जाना होगा ।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अर्न्तगत लागू नहीं है।
4.	समाजिक समाधात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगें ।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
5.	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत	हा

	और शून्य हो जाएगी ।	
6.	समाजिक समाधात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जाने संबंधी जानकारी ।	श्री राजकुकार शर्मा, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, चित्तौड़गढ

मुकेश कुमार गुप्ता
उप सचिव एवं प्रावै.सहा .
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।